

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :- 133/17 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :- 1. राजसिंह आत्मज स्व० श्योनारायण सिंह यादव जाति अहीर  
निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला अलवर ।

:- प्रतिवादी सं. 01 अपीलांत

बनाम

- 1 सुरेन्द्र सिंह आत्मज जालिम सिंह जाति अहीर
- 2 विरेन्द्र सिंह आत्मज सूरजभान जाति अहीर  
निवासीयान ग्राम गण्डाला तह० बहरोड जिला अलवर ।  
:- वादीगण रेस्पो०
- 3 संतोष देवी पत्नि धर्मपाल जाति अहीर
- 4 जितेन्द्र आत्मज धर्मपाल जाति अहीर
- 5 कृष्ण आत्मज धर्मपाल जाति अहीर
- 6 राजेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति अहीर
- 7 विरेन्द्र आत्मज रामनाथ जाति अहीर निवासीयान ग्राम गण्डाला  
तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
- 8 लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बहरोड जिला अलवर ।

:- प्रतिवादीगण रेस्पो०

अपील विरुद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री उपखंड अधिकारी  
बहरोड दिनांक 18.7.17

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांत :- श्रीमती प्रमिला यादव  
2. वकील रेस्पो० सं० 1,2:- श्री अमरसिंह यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर


- 1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 45/16 में पारित निर्णय दिनांक 18.7.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत तकासमा प्रारम्भिक तौर पर डिकी किया गया है ।
- 2 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान तहत न्यायालय ने मुझको जवाब दावा एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । पूर्व में तहत न्यायालय ने मेरी इकतरफा कर दी थी । इसके बाद मैंने आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो स्वीकार कर लिया गया । इसके बावजूद भी मुझको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया । विपक्षी को बिना सुने पारित किया गया निर्णय अवैधानिक होता है । अतः निवेदन है कि तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त करते हुये मेरी सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण रिमांड किया जावे ।
- 3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 व 2 का कथन है कि अपीलांट लापरवाह है । इसीलिये पूर्व में इनकी इकतरफा कर दी गई थी । बाद में इनका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर लिया गया और इनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर भी प्रदान कर दिया गया था ,परन्तु इन्होंने जानबूझकर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया । अब अपील प्रस्तुत कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करना चाहता है । प्रस्तुत अपील प्रारम्भिक डिकी के खिलाफ है, जिसमें कुरे कायमी होनी है और उसके बाद पक्षकारान की आपत्तियां आमंत्रित की जानी है । अगर अपीलांट को किसी प्रकार का कोई ऐतराज है तो तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।
- 4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । अपील में अपीलांट की मुख्य आपत्ति यही है कि उसे सुनवाई एवं जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है । इस सम्बन्ध में हमने तहत न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपीलाधीन निर्णय एवं अन्य आदेशिकाओं का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय में विद्वान तहत न्यायालय ने मात्र इतना सा लिखा है कि अवलोकन किया गया, प्रकरण भूमि बंटवारा का है,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

प्रारम्भिक डिक्री जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। यह निर्णय स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि आदेशिका दिनांक 30.6.17 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 ला0 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में आदेश 14 नियम 01 सी0 पी0 सी0 में दिये गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में दावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 ला0 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के आधार पर तनकियात विरचित करनी चाहिये थी तत्पश्चात आदेश 20 नियम 05 के अनुसार तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था। इतना ही नहीं, जब विद्वान तहत न्यायालय ने अपीलांत प्रतिवादी नम्बर 01 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सी0 पी0 सी0 स्वीकार कर लिया गया था तो अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये। उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलांत प्रतिवादी नम्बर 01 की सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य हेतु प्रकरण रिमांड किया जाना न्यायोचित समझती हैं।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.7.17 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो प्रतिवादी से जवाब दावा लेकर तनकियात कायम करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 9.4.2018 को उपस्थित हों।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर